# भ्रष्ट लोगों के पास निजता का अधिकार नहीं

**बोले रविशंकर** ▶ ऐसे लोगों को व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता, गवर्नेंस का काम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के जिम्मे

## कहा, फैसला सुनाना न्यायपालिका की जिम्मेदारी

नई दिल्ली में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायिक कांफ्रेंस-2020 में न्यायाधीशों और अन्य प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे भी मौजूद रहे। प्रेट्र

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** आतंकियों और भ्रष्ट लोगों के पास निजता का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को इंटरनेट का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। संविधान के अनुसार गवर्नेंस का भार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर है और उन्हें संसद, न्यायिक फैसलों और चुनाव में लोगों के प्रति जवाबदेह रहना है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी फैसला सुनाने की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायिक कांफ्रेंस 2020 के उद्घाटन समारोह में यह कहा।

कांफ्रेंस 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' में कानून मंत्री ने कहा कि यह याद रखने की जरूरत है कि मनुष्य की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक इंटरनेट है, लेकिन इसके दुरुपयोग का भी सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार बुनियादी अधिकार माना गया है और सरकार उसका सम्मान करती है, लेकिन आतंकियों और भ्रष्ट लोगों के पास निजता का अधिकार नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में डिजिटल परिदृश्य के विस्तार को देखते हुए निजता के अधिकार ने नाजुक स्थिति हासिल कर ली है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, 'यह सूचना का युग है और सूचना शक्ति है। यह संचार का युग है और संचार शक्ति है।' इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है।

कानून मंत्री ने कहा कि निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुनिया भर में प्रकाश स्तंभ बन चुका है। फैसले में व्यवस्था दी गई है कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़ा है।

**न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए चलाते हैं गलत अभियान :** रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए चलाए जा रहे गलत अभियान के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उम्मीदों के अनुकूल हक में फैसला नहीं सुनाया तो कुछ लोग आलोचना की सभी हदें पार कर जाते हैं। लोकतंत्र में हम असहमति का स्वागत करते हैं, परिचर्चाओं का स्वागत करते हैं, लेकिन जब परिचर्चा स्थापित संवैधानिक सिद्धांत पर हावी हो जाती है तब हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इस तरह की परिचर्चाओं में कुछ भी गलत कहने या फिर न्यायपालिका पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। यह हम सभी के लिए जरूरी है।

## सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने मोदी को जीनियस बताया

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी और जीनियस नेता बताया है। शनिवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर सोचते हैं और स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा ने पीएम और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 1,500 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का जिम्मेदार और सबसे दोस्ताना सदस्य है। उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया।

सुप्रीम कोर्ट के तीसरे वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि न्यायपालिका को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व हमारी प्रमुख चिंता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता है कि यह किस तरह इतने सफल रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत संवैधानिक दायित्वों के प्रति वचनबद्ध है और आतंकवाद से मुक्त, शांत और सुरक्षित दुनिया के प्रति प्रतिबद्ध है। विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण का संरक्षण सर्वोच्च माना जाता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बल देते हुए कहा कि अब हम 21वीं सदी में हैं। हम न सिर्फ वर्तमान, बल्कि भविष्य के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना समय की मांग है, क्योंकि यह लोकतंत्र की रीढ़ है।

# राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की तैयारी

संजय सिंह, नई दिल्ली

**सार्थक पहल**

- सरकार ने जारी की अधिसूचना, सरकार में सचिव रहे व्यक्ति चेयरमैन व अपर सचिव रहे लोग ही बन पाएंगे सदस्य
- विशेषज्ञों ने बोर्ड में सरकारी बाबुओं के वर्चस्व पर जताई निराशा

बहुप्रतीक्षित सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन शीघ्र ही होने वाला है। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें केंद्रीय मोटर नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। सड़क मंत्रालय ने इस बारे में जनता से एक महीने के भीतर सुझाव देने को कहा है। अधिसूचना के मुताबिक, केवल केंद्र और राज्य सरकारों के रिटायर्ड नौकरशाह ही इसके अध्यक्ष या सदस्य हो सकते हैं। बोर्ड के पास अन्य अधिकारों के साथ खतरनाक वाहनों को रीकॉल करने व सुरक्षा उपकरणों की लागत तय करने का अधिकार होगा।

मसौदा अधिसूचना के अनुसार, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड में चेयरमैन के अलावा कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात सदस्य हो सकते हैं, मगर ये सब सरकार से रिटायर लोग ही होंगे। केंद्र सरकार के सचिव पद से रिटायर कोई भी अफसर चेयरमैन, जबकि केंद्र या राज्य किसी में भी अतिरिक्त सचिव पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति सदस्य हो सकता है।

प्रस्ताव के अनुसार 55 की उम्र व 20 वर्ष का अनुभव वाला अफसर चेयरमैन व 45 की उम्र व 20 वर्ष का अनुभव वाला अफसर सदस्य हो सकता है। तीन वर्ष के कार्यकाल के साथ चेयरमैन को 65 तथा मेंबर को 62 की उम्र में बोर्ड से हटना होगा। सेवा समाप्ति के एक साल बाद तक इन्हें बोर्ड से जुड़ा कोई भी काम करने की अनुमति नहीं होगी।

**सड़क सुरक्षा पर केंद्र और राज्य को सलाह देगा बोर्ड :** बोर्ड का मुख्य कार्य सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देने का होगा। इनमें दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़कों और वाहनों की डिजाइन में सुधार के सुझाव, यातायात को सुगम व निर्बाध बनाने के उपाय, यातायात प्रबंधन, वाहनों के मानक, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, रोड साइन और संकेतकों के मानक, सड़क व फुटपाथ में निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री व तकनीकी के मानक, नए वाहनों तथा ईंधन की प्रौद्योगिकी तथा उसे प्रोत्साहन के लिए जरूरी उपायों के बारे में सलाह शामिल हैं।

**खतरनाक वाहनों को बाजार से वापस ले सकेगा बोर्ड :** बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक वाहनों तथा सुरक्षा उपकरणों को रीकॉल करने या बाजार से वापस लेने की होगी। इसके अलावा उसे सड़क हादसों की जांच रिपोर्टों का विश्लेषण कर भविष्य की योजनाएं तैयार करनी होंगी। बोर्ड को सुरक्षा उपकरणों की लागत तय करने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा बोर्ड घायलों के लिए ट्रामा सुविधाओं की स्थापना के मानक तय करेगा तथा परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सामंजस्य के उपाय बताएगा।

**इन्हें भी दे सकेगा सड़क सुरक्षा पर दिशानिर्देश :** परिवहन व्यवस्था के अलावा पुलिस, डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी भी बोर्ड की होगी। अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ भारत के तकनीकी मानकों को अपडेट करने का दायित्व भी उसे निभाना होगा।

**विशेषज्ञों ने उठाया सवाल :** बोर्ड गठन को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा की कमान सरकारी बाबुओं के हाथ में ही रहेगी जबकि इन्हीं की लापरवाही व सुस्ती के कारण देश में सड़क सुरक्षा का बेड़ा गर्क हुआ है और हर साल पांच लाख मोटर हादसों के साथ डेढ़ लाख मौतें हो रही हैं। इंडियन फाउंडेशन आफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के एसपी सिंह के मुताबिक, यदि अफसरों ने मोटर एक्ट और नियमों को ठीक से लागू किया होता तो सड़क सुरक्षा पर भारत को फजीहत का सामना न करना पड़ता। आखिर क्या वजह है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए बोर्ड में कोई जगह नहीं छोड़ी गई है।

**पिछले साल किया गया था का प्रस्ताव :** राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड अथवा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पिछले वर्ष संसद से पारित मोटर संशोधन विधेयक, 2019 में किया गया था। इससे पहले यूपीए सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर 2010 में मोटर एक्ट से इतर नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बिल लाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा सकी थी।

## भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में न्यायपालिका के योगदानों की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा, एक समय कहा जाता था कि तेज विकास और पर्यावरण की रक्षा एक साथ होना संभव नहीं है। लेकिन भारत ने इस सोच को बदला क्योंकि हम एक ओर तेजी से विकास कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमारा हरित क्षेत्र भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। पांच-छह साल पहले भारत विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी और तीन-चार दिन पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इस तरह भारत ने दोनों में संतुलन बनाकर दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इनके बीच संतुलन की गंभीरता को समझने के लिए न्यायपालिका का आभार जताते हुए कहा कि उसने निरंतर मार्गदर्शन किया है।

प्रधानमंत्री ने लिंग भेद को समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते पांच साल में न केवल 1,500 गैरजरूरी कानून खत्म किए गए हैं बल्कि ट्रांसजेंडर, दिव्यांगों के अधिकार हों या फिर तत्काल तीन तलाक की प्रथा खत्म करने के कानून बनाए गए हैं। इसमें सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से काम किया है और हमारा संविधान जेंडर जस्टिस और बराबरी के अधिकार को सुनिश्चित करता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम से शैक्षणिक संस्थाओं में लड़कियों का पंजीकरण बढ़ा है तो सेना में बेटियों की नियुक्ति, उनके लड़ाकू पायलट बनने से लेकर रात में महिलाओं के काम करने की स्वतंत्रता सरीखे बदलाव किए गए हैं।

## सीजेआइ बोबडे बोले, संविधान ने स्वतंत्र एवं मजबूत न्यायपालिका का निर्माण किया

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने शनिवार को कहा कि संविधान ने मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया है जिसे कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया था। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों द्वारा अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

अंतरराष्ट्रीय न्यायिक कांफ्रेंस-2020 में 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' विषय पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि न्यायिक संस्थान के तौर पर ही नहीं, बल्कि नागरिक के तौर पर भी हम हर मोड़ पर इसके मूल स्वरूप को बचाए रखने में सफल रहे। उन्होंने कहा, 'सबसे आधुनिक संविधानों की सबसे बुनियादी विशेषता संभवतः कानून के शासन का विचार है। निश्चित रूप से, हमारे देशों में कानून के शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायपालिका ऐसी चुनौतियों को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं और वे किस तरह से उभरती हैं।' प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बोबडे ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अक्सर कानून में अंतर्निहित होता है कि कानूनी अधिकारों के कानूनी कर्तव्यों के साथ सहसंबंध हैं। जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वह है मौलिक कर्तव्य संबंधी अध्याय जो प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का पालन जरूरी बनाता है।' प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 50 से अधिक देशों के संविधानों में मौलिक कर्तव्यों संबंधी विशिष्ट प्रावधान हैं। बोबडे ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की कर्तव्य भावना पर निर्भर करता है और वास्तविक अधिकार कर्तव्य के प्रदर्शन का परिणाम होते हैं।

उन्होंने अद्भुत प्रौद्योगिकीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनियाभर की न्यायपालिकाएं इस तरह के बदलाव का सामना कर रही हैं जिसे अधिकार क्रांति, प्रौद्योगिकी क्रांति और जनसांख्यिकीय क्रांति कहा जा सकता है। हमारे फैसले अब केवल उन लोगों को प्रभावित नहीं करते जो हमारे अधिकार क्षेत्र में रहते हैं।

### 'ऑनलाइन डाटा संरक्षण भी निजता का अधिकार'

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने शनिवार को कहा कि निजता का अधिकार सिर्फ टेलीफोन वार्ता के लिए ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन डाटा की सुरक्षा के लिए भी विकसित हुआ है। निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। जस्टिस राव ने कहा कि कानून का विकास अहम है क्योंकि यह देश और उसकी सामाजिक स्थिति में प्रगति को दर्शाता है। बदलती परिस्थितियों के मुताबिक कानून का विकास नहीं होना अक्सर अन्याय की ओर ले जाता है।

## शाह ने युवाओं से कहा मित्रों, परिवार से अपनी भाषा में करें बातचीत

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के युवकों से दोस्तों और परिवार के साथ अपनी भाषा में बातचीत करने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा है कि देश की संस्कृति तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसकी भाषाएं सुरक्षित रहें।शाह ने कहा कि भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति से एकजुट है। उन्होंने कहा कि देश के पास कई भाषाएं और बोलियां हैं। पूर्वोत्तर में 150 बोलियां हैं और ये भाषाएं एवं बोलियां हमारे देश की पहचान हैं।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'जब भी आपको अपने मित्रों, परिवार या माता-पिता से बातचीत करनी हो तो आप अपनी भाषा में करें। अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।' उन्होंने कहा कि भाषा की रक्षा जरूरी है, क्योंकि यदि भाषा सुरक्षित है तो उसका संगीत सुरक्षित है और उसका इतिहास भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में वह कई विदेशियों से मिले जिन्हें अपनी मूल भाषा का पता ही नहीं था। 50 साल बाद हम ऐसी स्थिति का सामना नहीं करें।

## पीएम-किसान योजना के तहत 50850 करोड़ का हुआ भुगतान

▶ 24 फरवरी को पहली वर्षगांठ से पहले कृषि मंत्रालय ने दी प्रगति की जानकारी

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** केंद्र अपनी महत्वपूर्ण योजना पीएम-किसान के तहत अभी तक किसानों को 50,850 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। यह आर्थिक मदद किसानों को खेती संबंधी प्रारंभिक खर्च और घरेलू खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए की गई है। कृषि मंत्रालय ने योजना के तहत हुई प्रगति साझा की है। योजना की पहली वर्षगांठ 24 फरवरी को है। पिछले वर्ष 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान योजना को औपचारिक रूप से लांच किया था।

योजना के तहत केंद्र तीन बराबर किस्तों में किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये हस्तांतरित करता है। उच्चतर आय से संबंधित विभिन्न मापदंडों के आधार पर यह भुगतान किया जाता है।

सरकार ने कहा है, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नाम की नई केंद्रीय योजना के शुरू होने की पहली वर्षगांठ 24 फरवरी 2020 को है।' यह योजना देश भर के सभी भूमि धारक किसानों को आय समर्थन मुहैया कराने के लिए लांच की गई। इसका उद्देश्य उन्हें कृषि से संबंधित खर्च के साथ ही घरेलू जरूरतें पूरी करने में समर्थ बनाना है। योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या करीब 14 करोड़ है। यह अनुमान कृषि जनगणना 2015-16 पर आधारित है। इस साल 20 फरवरी तक 8.46 करोड़ किसानों को लाभ दिया जा चुका है।

योजना दिसंबर 2018 से प्रभावी है। पात्रता के संबंध में लाभार्थियों की पहचान की अंतिम तारीख एक फरवरी 2019 है। पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर है। शुरू में योजना के तहत देश भर के दो हेक्टेयर खेती योग्य जमीन वाले सभी छोटे और मध्यम किसान परिवारों को आर्थिक समर्थन मुहैया कराया गया था। बाद में जमीन को दरकिनार करते हुए सभी किसान परिवारों को इसके दायरे में लाया गया। सक्षम किसानों जैसे आयकर देने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि पेशेवरों और 10,000 प्रतिमाह पेंशन पाने वालों को योजना से बाहर रखा गया है।

## 'भारत माता की जय' नारे का हो रहा अनुचित इस्तेमाल : मनमोहन

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** राष्ट्रवाद और 'भारत माता की जय' नारे का भारत की 'उग्र और विशुद्ध भावनात्मक' छवि गढ़ने में गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह लाखों निवासियों और नागरिकों को अलग कर देता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को एक कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए यह कहा।

जवाहरलाल नेहरू के काम और भाषणों पर आधारित पुरुषोत्तम अग्रवाल और राधा कृष्ण की किताब 'हू इज भारत माता' के लोकार्पण के मौके पर मनमोहन सिंह ने कहा कि यदि आज भारत को राष्ट्रमंडल में जोशीले लोकतंत्र के रूप में गिना जाता है और यह दुनिया की एक बड़ी शक्ति माना जाता है, तो उसका श्रेय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है।

इस किताब में नेहरू की बायोग्राफी 'विश्व इतिहास की झलक' और 'भारत की खोज' के अंशों, आजादी से पहले और आजादी के बाद के उनके भाषणों, लेखों और चिट्ठियों को शामिल किया गया है। पहले इस किताब का अंग्रेजी संस्करण आया था और अब इसका कन्नड़ अनुवाद जारी किया गया है।

## मोदी 2 में ग्राम योजना को झटका गोद लेने में सांसदों की रुचि घटी

▶ करीब आधे सांसदों ने अभी तक 2019-2024 में योजना के तहत किसी गांव को गोद नहीं लिया है

▶ सांसदों की उदासीनता देख ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसदों को लिखा पत्र

**नई दिल्ली, आइएएनएस :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' (एसएजीवाई) को झटका लगा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में करीब आधे सांसदों ने अभी तक 2019-2024 में योजना के तहत किसी गांव को गोद नहीं लिया है। इस योजना के पहले चरण में सांसदों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था। बाद के वर्षों में सांसदों ने इसे लेकर रुचि नहीं दिखाई।

सांसदों की उदासीनता को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसदों से चौतरफा विकास के लिए गांवों को गोद लेने के बारे में लिखा था। गत वर्ष 19-20 दिसंबर को हुई बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पाया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सांसदों ने केवल 250 गांव ही गोद लिए हैं। सांसदों की उदासीनता को देखते हुए ग्रामीण मंत्रालय ने पहले 11 जुलाई को और फिर आठ अक्टूबर 2019 को पत्र लिखा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इससे सांसद विचार करने पर बाध्य हुए और करीब 300 गांव गोद लिए गए। इससे मामूली वृद्धि हुई। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर सांसदों की कुल संख्या 788 है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी सांसदों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को सांसदों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करने के लिए कहा है ताकि वे गांव गोद लेने के लिए प्रेरित हो सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में नीति, योजना एवं निगरानी के उप निदेशक डॉ. आशीष सक्सेना के पत्र के मुताबिक, गांव गोद लेने के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कलेक्टरों से इस दिशा में प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया है। एसएजीवाई के तहत हर लोकसभा सदस्य को अपने क्षेत्र का एक गांव गोद लेना है और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उसके विकास पर ध्यान रखना है। इसका मकसद वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराना है।

## असम में सरकारी मदरसों से हटेगा 'मकतब' शब्द

**गुवाहाटी, प्रेट्र :** असम सरकार ने पांचवीं तक के 63 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के नाम के आगे से 'मकतब' शब्द हटाने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व सरमा ने शनिवार को यह जानकारी दी। मकतब अरबी शब्द है, जिसका अर्थ पाठशाला होता है। यानी मकतब में पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृति की शिक्षा देने वाले आश्रमों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदलने का फैसला किया है।

सरमा ने कहा कि मकतब के अलावा स्कूल के नाम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। स्कूल के नाम से सिर्फ मकतब शब्द हटाया जाएगा। मकतब के चलते पांचवीं कक्षा के बाद छात्रों को दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने में परेशानी होती है। मकतब में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा पर सवाल किए जाते हैं।

## एनआरसी में आए अयोग्य लोगों के नाम, विवरण मांगा

**गुवाहाटी, आइएएनएस :** असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के लगभग छह महीने बाद इसके राज्य समन्वयक हितेश देव सरमा ने कहा है कि इसमें कुछ अयोग्य लोगों के नाम आ गए हैं। उन्होंने 31 जिले के अधिकारियों से ऐसे लोगों का विस्तृत विवरण मांगा है। सरमा ने 19 फरवरी को लिखे पत्र में कहा है कि यह मामला अत्यधिक महत्व का है, क्योंकि इसका विवरण तत्काल भारत के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपा जाना है। उन्होंने पत्र में उन अयोग्य लोगों का विवरण दिया है, जिनके नाम अंतिम एनआरसी में आ गए हैं। इनमें संदिग्ध मतदाता, घोषित विदेशी, जिनके मामले विदेशी अधिकरण में लंबित हैं, संदिग्ध मतदाताओं के बच्चे, घोषित विदेशियों के बच्चे आदि शामिल हैं।

**कह के रहेंगे** — माधव जोशी

**रेलवे की पहल**

फैजाबाद स्टेशन का उदाहरण दे एनजीटी ने जताई थी नाराजगी, 720 स्टेशनों के लिए आइएसओ 14001 प्रमाणपत्र हासिल किए जाएंगे

## स्टेशनों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की मुहिम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे स्टेशनों पर पर्यावरण संरक्षण के आधे-अधूरे उपायों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की फटकार के बाद रेल मंत्रालय ने अपने सभी प्रमुख स्टेशनों को पर्यावरण प्रमाणित कराने की ठानी है। इसके लिए सभी जोन से चुनिंदा स्टेशनों का पर्यावरणीय आकलन कराने तथा आइएसओ-14001 प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए कहा गया है।

इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि एनजीटी ने रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में संबंधित आइएसओ 14001 प्रमाणपत्र हासिल करने का आदेश दिया है। इसके तहत शुरू में 37 स्टेशनों के लिए प्रमाणपत्र हासिल किए जाने हैं। जबकि उसके बाद सभी प्रमुख 720 स्टेशनों के लिए प्रमाणपत्र हासिल करने की कवायद की शुरू की जाएगी। फिलहाल सभी जोन इस काम के लिए सलाहकार एजेंसियों की सेवाएं लेने में जुटे हुए हैं। उन्हें बोर्ड को ये बताना है कि

एनजीटी की नाराजगी पर रेलवे ने उठाया कदम। फाइल

प्रत्येक स्टेशन के लिए आइएसओ प्रमाणपत्र हासिल करने में अनुमानतः औसतन कितनी धनराशि खर्च होगी। अनुमानित राशि का निर्धारण कैसे किया गया है और इस काम के लिए हायर की गई एजेंसियों से क्या-क्या काम लिया जा रहा है इसका ब्योरा भी बोर्ड को दिया जाना चाहिए।

**रेलवे स्टेशन पर्यावरण संरक्षण कानून के दायरे में :** एनजीटी ने दिसंबर की सुनवाई में कहा था कि चूंकि रेलवे स्टेशनों पर भी कई तरह के प्रदूषण कारक गतिविधियां होती रहती हैं, लिहाजा स्टेशन भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में आते हैं और रेलवे को इन गतिविधियों के लिए संबंधित पर्यावरण एजेंसियों से अनुमति लेनी चाहिए।

**सीपीसीबी के सुझावों को लागू करने के निर्देश :** एनजीटी ने रेलवे को स्टेशनों पर वायु (प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों को लागू करने के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझावों पर अमल करने तथा सभी प्रमुख स्टेशनों को स्वच्छ बनाने की कार्ययोजना लागू करने के निर्देश भी दिए थे। एनजीटी ने फैजाबाद स्टेशन का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां का रेलवे प्रशासन अभी तक कचरा उठाने और निपटाने की जगहें तक नहीं तलाश पाया है।

एनजीटी के अनुसार वायु एवं जल प्रदूषण से बचाव एवं संरक्षण से जुड़े उक्त कानूनों में ठोस कचरे, प्लास्टिक कचरे, खतरनाक कचरे, बायो-मेडिकल कचरे, भवन निर्माण से निकलने वाले कचरे के अलावा इलेक्ट्रानिक कचरे को एकत्र करने एवं निपटाए जाने के स्पष्ट प्रावधान हैं। रेलवे इनसे अछूती नहीं है।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCH
राजनीति विज्ञान (Optional)
पाश्चात्य विचारक
से कक्षा प्रारम्भ...
24 FEB 2020 | 3:00 PM 5:30 PM
OFFLINE / ONLINE / PENDRIVE COURSE
B-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58